

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... की जानी .....  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

क्र. नं. 34/2019  
 24/11/19

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू अ. नि. ...  
 ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... / नायब तहसीलदार ..... की  
 अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....  
 ..... तहसील ..... व जिला ..... की जमाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया  
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	404 पानी	4-0-8 225	दीशानात पुत्र अरिक्त नाथ 0.30 हे. साकुरा आलेशनात पुत्र अरिक्त 5.06 हे. अरिक्त पुत्र अरिक्त पुत्र अरिक्त 0.81 हे. अरिक्त पुत्र अरिक्त पुत्र अरिक्त	दीशानात पुत्र अरिक्त नाथ 0.30 हे. साकुरा आलेशनात पुत्र अरिक्त 5.06 हे. अरिक्त पुत्र अरिक्त 0.81 हे. अरिक्त पुत्र अरिक्त अरिक्त पुत्र अरिक्त

मुश्किल मुकदमों के पुत्र अरिक्त पुत्र अरिक्त  
 हाटि के मा. नं. 54, 55, 0.20 Sec 7  
 रोहिणी हिस्सी 85 कचि 5.18 हे.  
 काली गान्गा कडकूर  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जिला जिला  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा. कलक्टर .....

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (21) को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर .....